"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 630] रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2014 — अग्रहायण 24, शक 1936

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 (अग्रहायण 24, 1936)

क्रमांक- 12130/वि.स./विधान/2014.— छत्तीसगढ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 18 सन् 2014) जो सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता हैं.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 18 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2014

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 2 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ञञ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(ञञ) "राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 50-ख में निर्दिष्ट आयोग, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243यट के अंतर्गत सहकारी सोसाइटियों के सभी निर्वाचनों के संचालन तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी अथवा निकाय होगा.".

धारा 50-ख का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 50-ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"**50-ख. राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग.**- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन सहकारी सोसाइटियों के सभी निर्वाचनों के संचालन तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग (जो इसमें इसके पश्चात् आयोग के रूप में निर्दिष्ट है) का गठन करेगी.

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सहकारी सोसाइटियों के सभी प्रकार के निर्वाचनों का संचालन करने के लिए, प्रमुख सचिव से अनिम्न श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी, जो छत्तीसगढ़ शासन में सेवारत रहा हो, को राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी.

(3) राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त की अर्हता, निरर्हता, पदावधि और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि विहित की जाये.

(4) राज्य सरकार, उप रजिस्ट्रार से अनिम्न श्रेणी के पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को, आयोग के सचिव के रूप में, प्रतिनियुक्ति पर, नियुक्त करेगी.

(5) (क) राज्य सरकार, आयोग को ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारीवृंद उपलब्ध कराएगी, जो उसके कृत्यों के निष्पादन करने के लिए आवश्यक हो.

(ख) आयोग, यथा विहित रीति में, किसी सोसाइटी के बोर्ड और उसके पदाधिकारियों के निर्वाचन कराने के लिए और इस अधिनियम की धारा 49 में यथा उपबंधित आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए भी रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति करेगा तथा आयोग, यदि आवश्यक समझे, निर्वाचन के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के प्रयोजन के लिए जोनल अधिकारी या अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति करेगा.

(6) आयोग, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों (उम्मीदवारों) और अन्य व्यक्तियों, जो निर्वाचन की प्रक्रिया में संलग्न हैं, के द्वारा पालन किये जाने हेतु आचार संहिता अधिसूचित करेगा.

(7) आयोग को, निर्वाचन में सहयोग एवं सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की सेवाओं की अध्यपेक्षा करने की शक्तियां होंगी तथा ऐसे अध्यपेक्षित अधिकारी, निर्वाचन के दौरान संपूर्ण रूप से आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे.

(8) (क) निदेशक बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन, निदेशक बोर्ड की पदावधि के अवसान होने के पूर्व किया जाएगा, जिससे कि निदेशक बोर्ड के नवीन निर्वाचित किए गए सदस्यों का, बहिर्गामी निदेशक बोर्ड के सदस्यों की पदावधि के अवसान होते ही, पद धारण करना सुनिश्चित किया जा सके.

(ख) आयोग, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त सहकारी सोसाइटियों का निर्वाचन ऐसी रीति में संचालित करेगा, जैसा कि विहित किया जाए.

(ग) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी का बहिर्गामी बोर्ड, विद्यमान बोर्ड के कार्यकाल के अवसान होने के पूर्व छ: मास के भीतर, उस बोर्ड के निर्वाचन के संचालन के लिए, आयोग को लिखित में, ऐसी रीति में, अनुरोध करेगा, जैसा कि विहित किया जाए.

(घ) खण्ड (ग) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर, आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यमान बोर्ड के कार्यकाल के अवसान होने के पूर्व निर्वाचन सम्पन्न हो जाए.

(ङ) बोर्ड का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी समस्त जानकारी, पुस्तकें और अभिलेख, जिनकी आयोग, निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए, अपेक्षा करे, अद्यतन हैं और आयोग या इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को समय पर उपलब्ध करा दिये गये हैं.

(च) बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन के संचालन के लिए आयोग को उसके द्वारा ऐसी समस्त सहायता, जैसा और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध कराई जाएगी.

(9) बोर्ड के निर्वाचन के संचालन करने में उपगत समस्त व्यय, राज्य सरकार द्वारा, अग्रिम रूप में, आयोग को भुगतान किये जायेंगे तथा उनकी वसूली, उस सोसाइटी से, राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी, जैसा कि उसके द्वारा विहित किया जाये.

(10) आयोग, बोर्ड या उसके सदस्यों को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा, जैसा कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन के लिए युक्तियुक्त समझे एवं इस धारा के अधीन जारी किए गए ऐसे निर्देश, बोर्ड एवं उसके सदस्यों पर बंधनकारी होंगे."

5. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्र. 2 सन् 2014) को एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है. निरसन.

उद्देश्य और कारणों का कथन

सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन के संचालन एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 243यट के उपबंधों के अनुपालन के लिए, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 05 दिसम्बर, 2014

पुन्नूलाल मोहले
सहकारिता मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

वित्तीय ज्ञापन

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2014 की धारा 50-ख में सोसाइटी के बोर्ड के निर्वाचन के संचालन से संबंधित प्रावधान है, जिसमें राज्य शासन पर प्रति वर्ष अनुमानित रुपये 128.40 लाख (शब्दों में रुपये एक करोड़ अट्ठाईस लाख चालीस हजार मात्र) का केवल वित्तीय भार आएगा.

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2014 के संबंध में विवरण

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 2 एवं 50-ख में संशोधन करने का निर्णय लिया गया. चूंकि विधान सभा सत्र में नहीं था अत: अधिनियम में उक्त संशोधन करने हेतु छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्र. 2 सन् 2014) प्रख्यापित किया गया, जो दिनांक 30-09-2014 को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है.

उक्त अध्यादेश के स्थान में, अध्यादेश द्वारा अधिनियम में किये गये संशोधन, बिना रूप भेद के छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2014 पुर:स्थापित किया जा रहा है.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 2, 49(8),50-ख, 53(14)(तीन), 57-ख(16)(क), 57-ख(16)(ख), 74(ढ),75(ढ) का उद्धरण

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 2 - परिभाषाएं.

खण्ड (ञञ) "राज्य निर्वाचन आयोग" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के में निर्दिष्ट प्राधिकारी या निकाय,जिसका प्रयोजन सभी सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन का संचालन, निर्वाचक नामावली तैयार करने पर अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण ;

* * * * * * * * * * * * * *

धारा-49 की उप-धारा (8) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व बोर्ड का निर्वाचन कराया जायेगा. यदि बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन नहीं कराये जाते हैं, या सहकारी सोसाइटी का बोर्ड किसी न्यायालय के आदेश के कारण या अन्यथा कार्य करने से परिविरत हो जाए, तो बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा अपने पद रिक्त किये गये समझे जाएंगे और बोर्ड की शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित समझी जाएंगी और राज्य निर्वाचन आयोग, छ: मास के भीतर तथा सहकारी बैंक के मामले में बारह मास के भीतर निर्वाचन करवायेगा :

परन्तु रजिस्ट्रार इस उप-धारा के अधीन उसमें निहित बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी ऐसे प्राधिकृत किये जाने की तारीख से ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा."

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 50-ख-राज्य निर्वाचन आयोग.-

उप-धारा (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग को सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन कराने एवं निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए प्राधिकृत करेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

उप-धारा (2) राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को ऐसी संख्या में नियुक्त करेगा, जैसा कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन के संबंध में आवश्यक हो.

* * * * * * * * * * * * * *

उप-धारा (3) इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों, जैसा कि उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट है, ऐसी शक्तियां और कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्धारण करेगा, जैसा कि ऐसे निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक समझा जाये.

* * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * *

उप-धारा (4) राज्य सरकार सभी सहकारी सोसाइटियों का निर्वाचन कराने के लिए, निर्वाचक नामावली तैयार कराने, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से नियम बनायेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

उप-धारा (5) सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन की प्रक्रिया और रिटर्निंग अधिकारी की शक्तियां ऐसी होंगी जैसा कि इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए.

* * * * * * * * * * * * * *

उप-धारा (6) आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों और अन्य सभी संबंधित लोगों के लिए जो निर्वाचन की प्रक्रिया में संलग्न हैं, के द्वारा पालन किये जाने हेतु आचार संहिता अधिसूचित करेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

उप-धारा (7) आयोग को निर्वाचन में अन्य अधिकारियों की सेवाओं की अध्यपेक्षा के लिए भी सशक्त किया जाएगा और ऐसे अध्यपेक्षित अधिकारी निर्वाचन के दौरान पूर्णरूप से आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे.

* * * * * * * * * * * * * *

उप-धारा (8) (क) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष, सभापति और कार्यकारी संचालक के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन के संबंध में संसूचित करे और कार्यकारी संचालक यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन कराने हेतु आयोग को समय पर निवेदन कर लिया गया है, जिससे कि आयोग निर्वाचन करा सके;

(ख) उप-धारा (3) (क) के अधीन यथा उल्लेखित अनुरोध प्राप्त होने पर, आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन, विद्यमान बोर्ड की अवधि के अवसान के पूर्व संचालित कर लिया जाये;

(ग) किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का यह सुनिश्चित करने का कर्त्तव्य होगा कि समस्त जानकारी, पुस्तकें और अभिलेख, जिनकी आयोग निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उससे अपेक्षा करे, अद्यतन है और आयोग या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को समय-समय पर उपलब्ध करवा दिये गये है;

(घ) सहकारी सोसाइटी का बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि सहकारी सोसाइटी द्वारा आयोग को ऐसी समस्त सहायता उपलब्ध कराए, जो कि निर्वाचन के संचालन के लिए इस संबंध में उसके द्वारा अपेक्षा की जाए;

* * * * * * * * * * * * * *

उप-धारा (9) किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का निर्वाचन करवाने के लिए उपगत समस्त व्यय, संबंधित सहकारी सोसाइटी द्वारा वहन किये जायेंगे.

* * * * * * * * * * * * * *

उप-धारा (10) आयोग, बोर्ड या उसके सदस्यों को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन के लिए युक्तियुक्त समझे जाएं एवं आयोग द्वारा इस धारा के अधीन जारी किए गए निर्देश उन पर बंधनकारी होंगे."

* * * * * * * * * * * * * *

धारा- 53 की उप-धारा (14)(तीन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराने में चूक हुई हो ऐसे बोर्ड को अधिक्रमण या निलंबन के अधीन रखा जा सकेगा, और रजिस्ट्रार प्रशासक नियुक्त करने की कार्यवाही करेगा :

परन्तु यह और कि, किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड को अधिक्रमित नहीं किया जायेगा या निलंबन के अधीन नहीं रखा जाएगा जहां शासन की अंशधारिता या ऋण या वित्तीय सहायता या शासन द्वारा कोई प्रत्याभूति नहीं दी गई हो."

* * * * * * * * * * * * * *

धारा- 57-ख की उप-धारा (16)(क) राज्य निर्वाचन आयोग किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी का निर्वाचन वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व कराएगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा- 57-ख की उप-धारा (16)(ख) राज्य निर्वाचन आयोग किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी का निर्वाचन अधिक्रमण की तारीख से, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के मामले में छ: माह तथा राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक के मामले में बारह माह के भीतर कराएगा :

परन्तु यह कि परिस्थितियां नियंत्रण से परे होने पर, शासन अधिक्रमण की तारीख से छ: माह से अनधिक अवधि के भीतर ऐसे निर्वाचन कराने की अनुमति प्रदान कर सकेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * *

धारा-74 के (ढ)	बोर्ड के सदस्यों अथवा पदाधिकारियों के निर्वाचन के दौरान, पूर्व अथवा पश्चात् कोई व्यक्ति, ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण करता हो, जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित किया गया हो."

* * * * * * * * * * * * * *

धारा-75 के (ढ)	जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए".

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.